न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री भंवरलाल जनागल , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 272/2018

वादी बनाम प्रतिवादी

1. ललित पुत्र सोहनलाल
जाति-जीनगर, निवासी-धाकड़ी,
तहसील-सोजत, जिला-पाली (राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली,(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं

तारीख रजू.01/11/2018

उपस्थितः- 1. श्री देवाराम कटारियां, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण।

दिनांकः- 13/08/2019

-॥ निर्णय ॥-

वकील गण वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का-हिंगरना में वादी की खरीद सुदा कृषि भूमि आई हुई है जो खसरा नम्बर 589/2 रकबा 3-12 बीघा, खसरा नम्बर 658/2 रकबा 1-16 बीघा, खसरा नम्बर 994/13 रकबा 13-18 बीघा, खसरा नम्बर 1154/2 रकबा 3-8 बीघा कुल रकबा 22-14 बीघा आई हुई है। जिसकी जमाबंदी नकल साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त भूमि वादी के जरिये रजिस्टर्ड पंजीबद्ध बेचाननामा के जरिये दिनांक 25/04/2018 को खरीद की थी तथा उक्त बैचाननामें के आधार पर राजस्व अधिकारियों ने म्यूटेशन संख्या 2124 दर्ज किया था जिसमें गलती से ललित पुत्र सोहनलाल के जगह ललित पुत्र मोहनलाल दर्ज हो गया जो कि राजस्व अधिकारियों की गलती से हुआ है। जबकि उक्त म्यूटेशन में ललित पुत्र सोहनलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है जो मानवीय भूल एवं लिपिकीय त्रुटि है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। राजस्व अधिकारियों ने गलती से वादी के पिता का नाम सोहनलाल की जगह मोहनलाल दर्ज कर दिया था व उसके आधार पर गलत म्यूटेशन पारित कर दिया गया वादी अपनी उक्त भूमि पर ऋण लेने गया व दिनांक 25/09/2018 को राजस्व रेकर्ड की नकले निकलवाई जब पता चला कि राजस्व रेकर्ड में उसके पिता का नाम सोहनलाल के जगह मोहनलाल गलती से दर्ज कर दिया है व वादी उसे दुरूस्त करवाने हेतु दिनांक 24/10/2018 को राजस्व अधिकारियों के पास गया व निवेदन किया तो उन्होंने राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बाबत् घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम सोहनलाल होने के समर्थन में वादी का आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड, निर्वाचान पहचान कार्ड व नकलें वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। बिनाय वाद दिनांक 25/09/2018 को राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने एवं दिनांक 24/10/2018 को राजस्व अधिकारियों को अपने पिता का नाम मोहनलाल की जगह सोहनलाल दुरूस्त करने हेतु निवेदन करने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा स्पष्ट इंकार करने से बमुकाम हिंगरना तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में पैदा हुआ जो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से उक्त वाद अंदर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। सरकारी पैरोकार अपना जबाबदावा पेश करने का समय चाहा गया। सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। जवाब दावा में व्यक्त किया कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज अनुसार पद संख्या एक में अंकित तथ्य स्वीकार हैं। पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट ली गई, जांच रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 2114 दिनांक 07.06.2018 में दर्ज करते समय ललित पुत्र सोहनलाल के स्थान पर ललित पुत्र मोहनलाल सहवन से नाम दर्ज हो गया। वकील वादी ने वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य का शपथ पत्र पी. डब्ल्यू. डी. 01 पेश किया, सा. मि. किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब दावा में वादी का नाम सोहनलाल जो नामान्तरकरण संख्या 2114 दर्ज करते समय सहवन से मोहनलाल दर्ज हो गया हैं। वादी ने अपने साक्ष्या शपथ पत्र में भी सरहद मौजा खराड़ी में स्थित भूमि में वादी के पिता का नाम मोहनलाल दर्ज हैं जो गलत दर्ज हो गया हैं, जबकि सही नाम मोहनलाल हैं। वकील वादी ने साक्ष्य सबूत के तोर पर वादी के आधार कार्ड 647935055720 पेश किया, जिसमें वादी के पिता का नाम सोहनलाल दर्ज हैं। जिससे वादी के पिता का सही नाम सोहनलाल ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से ललित पुत्र मोहनलाल दर्ज नाम के स्थान पर ललित पुत्र सोहनलाल दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–खराड़ी, पटवार हल्का–डिगरना में वादी की खरीद सुदा कृषि भूमि आई हुई है जो खसरा नम्बर 589/2 रकबा 3–12 बीघा, खसरा नम्बर 658/2 रकबा 1–16 बीघा, खसरा नम्बर 994/13 रकबा 13–18 बीघा, खसरा नम्बर 1154/2 रकबा 3–8 बीघा कुल रकबा 22–14 बीघा की आई हुई है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम ललित पुत्र मोहनलाल के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम ललित पुत्र सोहनलाल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/08/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री भंवरलाल जनागल, आर0ए0एस0

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. ललित पुत्र सोहनलाल जाति-जीनगर, निवासी-धाकडी, तहसील-सोजत, जिला-पाली (राज.)		2. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली,(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 272/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-खराड़ी, पटवार हल्का-डिगरना में वादी की खरीद युदा कृषि भूमि आई हुई है जो खसरा नम्बर 589/2 रकबा 3-12 बीघा, खसरा नम्बर 658/2 रकबा 1-16 बीघा, खसरा नम्बर 994/13 रकबा 13-18 बीघा, खसरा नम्बर 1154/2 रकबा 3-8 बीघा कुल रकबा 22-14 बीघा की आई हुई है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम ललित पुत्र मोहनलाल के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम ललित पुत्र सोहनलाल दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यावी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/08/2019 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner